बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक– 2170 **पटना, दिनांक**–10/4/2020

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक–

विषय– COVID–19 Virus के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दौरान आवश्यक परिवहन संचालन के संबंध में निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–09.04.2020 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य में COVID–19 Virus के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोजित आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में परिवहन विभाग से संबंधित कतिपय बिन्दुओं के संबंध में निदेश दिये गये हैं। बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न। निदेश निम्नवत् हैं–

1. रेलवे के रेक प्वाईट पर आने वाले सामग्रियों की Loading/unloading तथा गोदाम तक पहुँचाने की अनुमति।

2. नल–जल योजना से संबंधित सामग्रियों को फैक्ट्री से गोदामों तथा वहाँ से कार्यस्थल तक परिवहन करने की अनुमति।

3. भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त स्टील एवं अन्य सामग्रियों के उत्पादन के Supply Chain को बनाये रखने से संबंधित Whole saler/Retailer के पास सामग्री के Loading/unloading की अनुमति।

4. मक्का से संबंधित Starch factory में उत्पादित सामग्रियों के Loading/unloading की अनुमति।

ऊपर वर्णित सामग्रियों के उत्पादन, परिवहन एवं Loading/unloading कार्य हेतु मजदूरों/पर्यवेक्षकों को पास निर्गत करने की अनुमति दी गयी है। उक्त क्रम में Social distancing norms एवं सेनिटाइजेशन norms को भी संबंधित फर्म के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित होगा। इसके लिए निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं–

M

1. मजदूरों की आवश्यकता का आकलन कर सीमित संख्या में पास निर्गत किया जाय, ताकि **Social distancing** का अनुपालन हो।
2. नियोजक/ठेकेदार को स्पष्ट निदेश दिया जाय कि वे मजदूरों/अन्य कर्मियों के लिए मास्क, साबुन, पानी एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था कार्य स्थल पर सुनिश्चित करें।
3. नियोजक/ठेकेदार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य सम्पादन के दौरान मजदूर आपस में आवश्यक दूरी बना कर रखें।
4. समय–समय पर उनकी **Health Chek up** करवाया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

10/4/2020

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2170 पटना, दिनांक– 10/4/2020

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/2020

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2170 पटना, दिनांक– 10/4/2020

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/2020

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
फैक्स: 0612 2294202, ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

दिनांक 09.04.2020 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य में **COVID-19 Virus** के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति–
   - i. पुलिस महानिदेशक, बिहार
   - ii. अपर मुख्य सचिव, गृह –सह– सामान्य प्रशासन विभाग
   - iii. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
   - iv. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
   - v. सचिव, परिवहन विभाग
   - vi. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
   - vii. सचिव, कृषि –सह– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

2. बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

i. स्वास्थ्य विभाग :

बेगूसराय एवं सिवान में सभी संदिग्धों के जाँच हेतु sample लेने एवं उसकी जाँच कराने का निदेश दिया गया।

ii. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :

सचिव, खाद्य एवं उभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बताया गया कि PoS मशीन के माध्यम से Biometric Authentication/Electronic Mode से खाद्यान्न का वितरण कराने का पूर्व में निदेश है, परन्तु वर्तमान परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न वितरण हेतु अपनी सुविधा अनुसार खाद्यान्न का वितरण कराने का परामर्श दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने PoS मशीन का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है।

iii. गृह विभाग :

इसपर विमर्शोपरान्त सहमति बनी कि विभिन्न पंचायतों में चल रहे School quarantine के सख्ती से अनुपालन के लिए संबंधित थानेदार गश्ती करें एवं वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार–प्रसार करें। तद्नुसार निर्देश DGP निर्गत करेंगे

iv. परिवहन विभाग :

सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा बताया गया कि :–

(क) रेलवे के द्वारा जो भी सामान आ रहे हैं, उनके loading/unloading एवं उसे गोदाम तक पहुँचाने हेतु पास निर्गत करने की आवश्यकता है।

(ख) इसी प्रकार नल–जल योजना से संबंधित सामग्रियों को फैक्ट्री से गोदामों तथा वहाँ से कार्य स्थल तक परिवहन करने हेतु पास की आवश्यकता होगी।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्टील एवं अन्य अनुमति प्राप्त सामग्रियों के उत्पादन एवं इसके परिवहन की छूट दी गयी है, जिसके अन्तर्गत supply chain को बनाये रखने से संबंधित wholesaler/ Retailer के पास सामग्री के परिवहन एवं इसके loading/unloading की अनुमति की आवश्यकता होगी।

(घ) मक्का से संबंधित starch factory में उत्पादित सामग्रियों के loading/unloading की अनुमति की भी आवश्यकता होगी।

(ङ) इन सभी कार्यों में शामिल मजदूरों/ पर्यवेक्षकों को भी कार्य करने हेतु पास निर्गत करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अनुमति प्राप्त सामग्रियों के उत्पादन, परिवहन एवं उपरोक्त कार्यों हेतु loading/unloading करने में कार्य कर रहे मजदूरों/पर्यवेक्षकों को पास निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक 1/प्रा0आ0 (COVID-19)–10/2020/1286/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 09.4.2020

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार/ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग /खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/04/2020
(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक 1/प्रा0आ0 (COVID-19)–10/2020/1286/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 09.4.2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

09/04/2020
अपर सचिव